

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1477
दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ पेयजल तक पहुँच

1477- श्री नीरज शेखर:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2017 में स्वच्छ पेयजल तक पहुँच रखने वाले भारतीयों के राज्य-वार प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2015 में केवल 12% भारतीयों की स्वच्छ पेयजल तक पहुँच थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2017 में आज की तिथि तक स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए आवंटित, जारी और खर्च की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलवालिया)

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल से कवर करने का प्रावधान पूर्णतः कवर (अर्थात प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर से अधिक पानी प्राप्त करने वाले) और आंशिक कवर (अर्थात प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर से कम पानी प्राप्त करने वाले) बसावटों की दृष्टि से किया गया है। राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दिनांक 28.12.2017 तक दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2017 में स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाली ग्रामीण बसावटों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक -1** पर है।

(ख) और (ग) जी नहीं। यह मंत्रालय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की कवरेज का लेखा जोखा बसावटों की संख्या की दृष्टि से रखता है। दिनांक 01.04.2015 तक राज्यों द्वारा मंत्रालय के आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार 74.14 % ग्रामीण बसावटें पूर्णतः कवर की गई थी और 21.96% आंशिक रूप से कवर की गई थी। दिनांक 01.04.2015 के अनुसार सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने वाली ग्रामीण बसावटों का राज्य-संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर है।

(घ) वर्ष 2017-18 में दिनांक 27.12.2017 तक एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आवंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-1			
दिनांक 01-01-2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1477 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण			
क्र.सं.	राज्य	पूर्णतः कवर बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	324	76
2	आंध्र प्रदेश	33258	14687
3	अरुणाचल प्रदेश	2918	4633
4	असम	52826	24249
5	बिहार	67376	38627
6	छत्तीसगढ़	70488	3027
7	गोवा	345	2
8	गुजरात	36063	3
9	हरियाणा	7597	223
10	हिमाचल प्रदेश	42811	10793
11	जम्मू एवं कश्मीर	8995	6947
12	झारखंड	116970	898
13	कर्नाटक	24264	34934
14	केरल	4909	16279
15	मध्य प्रदेश	127794	80
16	महाराष्ट्र	87075	12374
17	मणिपुर	2227	1561
18	मेघालय	1758	8685
19	मिजोरम	468	270
20	नागालैंड	680	742
21	ओडिशा	138916	15806
22	पुडुचेरी	153	113
23	पंजाब	10027	1757
24	राजस्थान	55918	45854
25	सिक्किम	750	1334
26	तमिलनाडु	93468	6538
27	तेलंगाना	13709	9503
28	त्रिपुरा	4580	1601
29	उत्तर प्रदेश	256303	2345
30	उत्तराखंड	22229	17115
31	पश्चिमी बंगाल	51084	36009
कुल		1336283	317065
प्रतिशत		77.42	18.37

(स्रोत: फॉर्मेट सी-17)

अनुलग्नक-II

दिनांक 01-01-2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1477 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	राज्य	पूर्णतः कवर बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	324	76
2	आंध्र प्रदेश	29309	18304
3	अरुणाचल प्रदेश	2559	5089
4	असम	50451	30482
5	बिहार	59862	46759
6	छत्तीसगढ़	68043	3964
7	गोवा	345	2
8	गुजरात	34821	4
9	हरियाणा	7583	362
10	हिमाचल प्रदेश	40458	13146
11	जम्मू एवं कश्मीर	8535	7257
12	झारखंड	116248	3386
13	कर्नाटक	25485	32095
14	केरल	2420	8712
15	मध्य प्रदेश	126408	491
16	महाराष्ट्र	89455	10575
17	मणिपुर	2134	736
18	मेघालय	1381	9075
19	मिजोरम	318	442
20	नागालैंड	566	898
21	ओडिशा	90307	61872
22	पुडुचेरी	151	115
23	पंजाब	11289	2256
24	राजस्थान	67315	32114
25	सिक्किम	653	1431
26	तमिलनाडु	89437	10229
27	तेलंगाना	13558	9902
28	त्रिपुरा	3665	508
29	उत्तर प्रदेश	259260	1123
30	उत्तराखंड	21323	17959
31	पश्चिमी बंगाल	46536	46861
	कुल	1270199	376225
	प्रतिशत	74.14	21.96

(सैंतः फॉर्मेट सी-17)

दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1477 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	राज्य	2017-18 as on 27.12.2017		
		आबंटन	रिलीज	व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.3	0	0
2	आंध्र प्रदेश	165.68	165.68	130.99
3	अरुणाचल प्रदेश	88.78	58.4	4.07
4	असम	400.02	158.8	139.05
5	बिहार	430.32	300.03	120.03
6	छत्तीसगढ़	72.74	31.23	36.9
7	गोवा	1.67	0	0
8	गुजरात	225.51	167.88	132.49
9	हरियाणा	104.48	83.55	52.11
10	हिमाचल प्रदेश	76.74	54.59	58.06
11	जम्मू एवं कश्मीर	241.98	87.74	90.81
12	झारखंड	149.72	123.43	94.85
13	कर्नाटक	279.69	123.58	155.66
14	केरल	70	70	24.78
15	मध्य प्रदेश	201.68	135.51	77.07
16	महाराष्ट्र	397.47	161.08	106.19
17	मणिपुर	37.24	26.58	41.94
18	मेघालय	48.15	34.27	18.87
19	मिजोरम	25.92	10.91	8.65
20	नागालैंड	27.1	12.81	13
21	ओडिशा	120.17	44.98	27.94
22	पुडुचेरी	0.62	0	0
23	पंजाब	68.47	43.9	44.61
24	राजस्थान	558.08	261.84	495.65
25	सिक्किम	9.14	2.91	7.74
26	तमिलनाडु	144.5	101.77	62.88
27	तेलंगाना	555.37	555.37	386.8
28	त्रिपुरा	43.65	28.85	20.43
29	उत्तर प्रदेश	497.48	234.14	363.62
30	उत्तराखंड	82.93	58.81	77.14
31	पश्चिमी बंगाल	737.29	737.29	198.38
	कुल	5862.89	3875.93	2990.7

(आबंटन में मंत्रालय स्तर का व्यय शामिल नहीं है, साथ ही जेई/एईएस प्रभावित जिलों हेतु आबंटन का 10% शामिल नहीं है।)